फाइनेंस कर्मी से 36 लाख लूट मामले में तिहाड़ जेल से दो आरोपी गिरफ्तार

पुलिस इस मामले में अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है

कोटा, (निसं)। गुमानपुरा इलाके में फाइनेंस कर्मचारी से 36 लाख रुपये लूट के मामले में पुलिस टीम ने तिहाड़ जेल रोहिणी दिल्ली से प्रोडेक्शन वारंट पर दो आरोपियों को बापर्दा गिरफ्तार किया। पुलिस इस मामले में अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, जिसमे से दो आरोपियों को पूर्व में न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।

शहर पुलिस अधीक्षक डॉ.अमृता दुहन ने बताया कि गुमानपुरा ईलाके के टीचर्स कॉलोनी मे फाइनेंस कर्मचारी से 36 लाख लूट के मामले मे वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये पुलिस उपअधीक्षक योगेश शर्मा के निर्देशन में गुमानपुरा थानाधिकारी अनिल कुमार टेलर के नेतृत्व में गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए तिहाड़ जेल रोहिणी दिल्ली से प्रोडेक्शन वारंट पर रामा विहार नई दिल्ली निवासी राहुल गुप्ता उर्फ नकटा (34) एवं कमलजीत उर्फ तोती (33) को बापर्दा गिरफ्तार किया है। शहर एसपी ने बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपियों से मामले में अनुसंधान के बाद न्यायालय में पेश किया गया। जहां से दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। शहर एसपी ने बताया कि इस मामले में पुलिस टीम ने पूर्व में दो आरोपी संजीव चौपड़ा उर्फ शेरा व अमित भाई को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।

शहर एसपी अमृता दुहन ने बताया कि 25 नवम्बर 2011 को टीचर्स कॉलोनी निवासी फरियादी ने गुमानपुरा थाने में रिपोर्ट दी थी। फरियादी ने शिकायत में कहा था कि वह कोटा में किराये से रहता है उसके पास तीन लोग आये जिसमें से दो जनों से पुलिस वर्दी पहन रखी थी और उससे कहा कि ड्रग्स बेचता है और उसके कमरे की तलाशी ली तो अलमारी में रखे काले रंग का बैग जिसमें 36 लाख रूपये थे। उस बैग और मुझे कार में ले गये और रावतभाटा रोड पर फोरलेन के पास उतार दिया और पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो गये। शहर एसपी ने बताया कि फरियादी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर मामले में कार्रवाई करते हुए पूर्व में पुलिस की वर्दी पहन कर वारदात को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था। वहीं मामले में वांछित चल रहे दो आरोपियों को प्रोडेक्शन वारंट पर तिहाड़ जेल से बापर्दा गिरफ्तार किया है।

36 लाख की नगदी लूट के मामले में दो आरोपियों को बापर्दा गिरफ्तार किया।

- आरोपियों में से कुछ ने पुलिस की वर्दी पहनकर वारदात को अंजाम दिया था

12 हजार रुपए भरण-पोषण देने का आदेश

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर पारिवारिक न्यायालय संख्या-3 के पीठासीन अधिकारी दलपतसिंह राजपुरोहित ने एक बीएड डिग्रीधारी महिला को उसके 12वीं पास पति से गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस संबंध में महिला और उसकी दोनों बच्चों को मासिक 12 हजार रुपए भरण- पोषण देने का आदेश दिया। जानकारी के अनुसार वेणु पंवार (42) ने न्यायमित्र हेमंत बावेजा के माध्यम से कोर्ट में मुकदमा दायर किया। इसमें बताया कि वर्ष 2013 में उसकी शादी बागर चौक निवासी महेन्द्र सिंह सांखला के साथ हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। इससे उसके 2 बच्चों का जन्म हुआ। इसके बाद से ही उसे कम दहेज लाने के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया गया। वहीं, पति महेंद्र कुमार (52) ने सभी आरोपों को झूठा बताते हुए कहा कि वह 12वीं पास है। वह पूर्ण स्वस्थ व हृष्ट-पुष्ट होने के बावजूद बेरोजगार है, जबकि, उसकी पत्नी व्यवसायिक डिग्री बीएड शिक्षित होकर महीने की आय प्राप्त कर रही है। इसके बाद कोर्ट ने पति की दलीलों को खारिज करते हुए आदेश दिया कि अप्रार्थी का पत्नी व नाबालिग बच्चों को अपने आर्थिक व सामाजिक स्तर के अनुरूप भरण पोषण करे। इसके साथ ही कोर्ट ने वर्तमान समय में महंगाई सूचकांक, जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान कराने का पत्नी के पक्ष में निर्णय दिया।

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विज्ञप्ति दिनांक-10.02.2025

आयोग के वि.सं. 18/2024-25 दिनांक 22.10.2024 द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए सहायक आचार्य की Nuchlear Medicine एवं Endocrinology विशिष्टताओं के क्रमशः 01 एवं 03 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। विभाग द्वारा पदों की संख्या में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि किये जाने के फलस्वरूप उक्त पदों हेतु दिनांक 12.02.2025 से दिनांक 21.02.2025 को रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन आवेदन पत्र पुन आमंत्रित किये जात है। इसके पश्चात लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया, विभाग सेप्राप्त संशोधित वर्गवार वर्गीकरण एवं अन्य सूचना के संबंध में अभ्यर्थी आयोग की वेब-साईट पर जारी शुद्धि पत्र संख्या 20/2024-25 का अवलोकन कर सकते हैं।

DIPR/C/1914/2025 (रामनिवास मेहता) सचिव

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड नाथद्वारा जिला राजसमन्द राजस्थान

क्रमांक : 14 **निविदा सूचना संख्या 12/2024-25** दिनांक : 05.02.2025

NIB : PWD2425A4051

नवीन सड़को एवं भवनों के निर्माण कार्य हेतु ईच्छुक संवेदको से निविदा दिनांक 20.02.2025 सायं 06:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा के सम्बन्ध में अन्य विवरण उपापन वेबसाईट (http://www.eproc.rajasthan.gov.in और http://www.sppp.rajasthan.gov.in) पर देखा जा सकता है। उपापन की कुल अनुमानित राशि 137.00 लाख रुपया है।

S.No.of Work	UBN No.
1	PWD2425WSOB14535
2	PWD2425WSOB14536

(भानु प्रकाश माथुर)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड नाथद्वारा

DIPR/C/1670/2025

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक :- अ.अ./विद्युत-II/राजकाज 13523021 दिनांक :- 11/02/2025

ई-बिड सूचना संख्या :- जोन विद्युत-II/09/2024-25

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की ओर से प्राधिकरण एवं राजकीय विभाग में नियमानुसार उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत निविदादाताओं से मुहरबंद निविदाएं आंमत्रित की जाती है। इन कार्यो की अनुमानित लागत, निविदा बेचे जाने तथा प्राप्त करने की दिनांक, निविदा शर्तें आदि सम्पूर्ण विवरण वेबसाईट **www.jodhpurjda.org, www.eproc.rajasthan.gov.in** एवं **www.sppp.raj.nic.in** पर देखी जा सकती है।

NIB CODE :- JOD2425A0167
UBN/TENDER ID :- JOD2425WSOB00370, JOD2425WSOB00371
कार्य की अधिकतम अनुमानित लागत – रूपये 47,79,326/–

राज.संवाद/सी/24/11547 अधिशाषी अभियंता (विद्युत-II)

कार्यालय नगरपालिका, आहोर (जिला-जालोर)
(हॉस्पीटल चौराहा, रेल्वे स्टेशन रोड़, जालोर–343001)

क्रमांक: /नपाआहोर/विकास/2024–25/3125 दिनांक: 11.02.2025

:: निविदा सूचना संख्या 13/2024–25 ::

नगरपालिका, आहोर में विधायक स्थानीय विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्य हेतु राजस्थान के विभिन्न विभागों/निगमो/स्वायत्तशासी संस्था/बोर्डों/राजकीय उपकमों में AA एवं A श्रेणी में पंजीकृत तथा स्वायत्त शासन राजस्थान के अधीन विभागों/संस्थानों नगर पालिका/परिषद/निगम व बोर्डो में निर्धारित श्रेणी में निविदा जारी होने की दिनांक को पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त संवेदकों से निर्धारित शर्तो के अनुसार ऑनलाईन ई–निविदा आमंत्रित की जाती है। उक्त ई–निविदा **https://sppp.rajasthan.gov.in** एवं **https://eproc.rajasthan.gov.in** पर देखी तथा डाउनलोड की जा सकती है।

NIB CODE – DLB2425A5523
UBN CODE – DLB2425WSOB16736

राज.संवाद/सी/24/11542 अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका, आहोर

राजस्थान–सरकार
कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान,
आबकारी भवन 2–गुमानीयाताल, पंचवटी, उदयपुर–313001

क्रमांक F.32(B)(1)(After Policy-2025-26)EX/L/2025-04359-6914704-Part File(2)/1496 दिनांक 12.02.2025

कम्पोजिट रिटेल ऑफ मदिरा दुकानों के वर्ष 2024–25 के अनुज्ञाधारियों को वर्ष 2025–26 के लिये अनुज्ञापत्र नवीनीकरण के लिये आवेदन (विकल्प, प्रस्तुत करने की नियत तिथि को बढाई जाने की सूचना

इस कार्यालय की समसंख्यक विज्ञप्ति क्रमांक 1480 दिनांक 03.02.2025 के सन्दर्भ में राज्य के कम्पोजिट रिटेल ऑफ मदिरा दुकानों के वर्ष 2024–25 के समस्त अनुज्ञाधारियों को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2025–26 के लिए अनुज्ञापत्रों के नवीनीकरण के लिए पात्र एवं इच्छुक अनुज्ञाधारी अपना नवीनीकरण आवेदन (विकल्प) पत्र मय निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ **दिनांक 15.02.2025 तक संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय** में प्रस्तुत किये जा सकेगें। **दिनांक 15.02.2025 तक** नवीनीकरण आवेदन (विकल्प) प्राप्त नही होने पर अनुज्ञाधारी का नवीनीकरण करवाने का विकल्प समाप्त हो जायेगा तथा दुकान/समूह (Cluster) का आवंटन ई–नीलामी/ई–निविदा द्वारा किया जाएगा।

वर्ष 2025–26 हेतु अनुज्ञापत्र नवीनीकरण से संबंधित समस्त जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट **https://excise.rajasthan.gov.in** का अवलोकन करे।

अन्य सभी शर्तें पूर्वानुसार यथावत रहेगी।

आबकारी आयुक्त,राजस्थान

राजस्थान सरकार
निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक-निदे/अ.ख.अ.नीलामी/नीलामी (ML Bajri 04) /2025/ई-10076

ई-नीलामी विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सचित किया जाता है कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के अध्याय-iii के तहत विभाग के अप्रधान खनिज बजरी के खननपट्टो के आवंटन के लिए निम्नांकित प्लॉट ई-नीलामी के माध्यम से दिये जाने हेतु इलेक्ट्रोनिक प्लेटफार्म पर खुली बोली आमंत्रित की जाती है। संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-

जिला	तहसील	राजस्व ग्राम	प्लॉट्स की संख्या
पाली	रोहट	कुलथाना व घींगाणा	1
		कलाली	1
		भूरियासनी	1
		राखाणा व घींगाणा	1
		चाटेलांव व जेतपुर	1
		चाटेलांव, जेतपुर गढवाडा	1
		जेतपुर व गढवाडा	2
		गढवाडा	1
		गढवाडा व घोलेरिया जागीर	1
अजमेर	भिनाय	खेडी व गुढा खुर्द	1
		देवलिया कला	4
		योग	15

विशेष नोट- 1. प्लॉटों का विस्तृत विवरण, अमानत राशि, बोली प्रस्तुत करने की तिथि व समय इत्यादि का विवरण ई-ऑक्शन की शर्ते विभागीय वेबसाइट www.mines.rajasthn.gov.in एवं इलेक्ट्रोनिक प्लेटफार्म प्रदाता कंपनी MSTC Ltd की वेबसाइट www.mstcecommerce.com पर उपलब्ध है।

DIPR/C/1618/2025 (भगवती प्रसाद) IAS, निदेशक

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खण्ड मालपुरा
पता-व्यास सर्किल के पास, सदरपुरा रोड जलदाय विभाग केम्पस, मालपुरा जिला टोंक
Mobile No. 8279108410 E-mail ID- eemal.ton.phed@rajasthan.gov.in

क्रमांक-अ.अ./जन स्वा./माल./2024-25/4285-98 दिनांक-05.02.2025

ई-निविदा सूचना संख्या 109 से 119/2024-25

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से जन स्वा.अभि. विभाग खण्ड मालपुरा के अधीन विभिन्न क्षेत्रों में कार्यो हेतु उपयुक्त श्रेणी में जन स्वा.अभि.विभाग में पंजीकृत संवेदकों एवं राज्यसरकार/केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवं दूर संचार विभाग/रेलवे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों जो कि राजस्थान सरकार के सक्षम श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो से निर्धारित पपत्र में ई-प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया के तहत ऑन लाइन निविदाऐ आमंत्रित की जाती है।

निविदा फार्म ऑन लाइन वेबसाइट http://www.eproc.rajasthan.gov.in से निम्न विवरण में अंकित अनुसार अवधि में निविदा प्रपत्र प्राप्त कर जा कराये जा सकते है। निर्धारित तिथि को यदि किसी कारणवश अवकाश रहता है। तो उसके अगले कार्यदिवस में उसी समय परतकनीकी बिड खोली जाएगी। निम्न हस्ताक्षरकर्ता को बिना कारण बताये किसी भी निविदा अथवा भाग को निरस्त करने का अधिकार होगा। निविदा की लागत कम व अधिक की जा सकती है।

विस्तृत विवरण ऑन लाइनवेबसाईट http://dipr.rajasthn.gov.in/tenders.asp.sppp.rajasthan.gov.in, http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। इच्छुक संवदकों का अपने digital Signature certificate (DSC) के माध्यम से वबसाइट http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर फर्म को रजिस्टर्ड करवाया आवश्यक है उक्त निविदाओं का वेबसाइट sppp.rajsthan.gov.in पर यूनिक बिड नं. निम्नानुसार है

निविदा डाउनलोड करने की अंतिम तिथि	05.02.2025 से 19.02.2025 सायं 06 बजे तक
निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि	05.02.2025 से 19.02.2025 सायं 06 बजे तक
निविदा तकनीकी बिड खोलने की तिथि व समय	20.02.2025 को प्रात 11.00 बजे

S.NO.	Nit No.	NIB CODE	UBN NO.
1	109/2024-25	PHE2425A4297	PHE2425WSOB09198
2	110/2024-25	PHE2425A4297	PHE2425WSOB09199
3	111/2024-25	PHE2425A4297	PHE2425WSOB09200
4	112/2024-25	PHE2425A4297	PHE2425WSOB09201
5	113/2024-25	PHE2425A4297	PHE2425WSOB09202
6	114/2024-25	PHE2425A4297	PHE2425WSOB09203
7	115/2024-25	PHE2425A4297	PHE2425WSOB09204
8	116/2024-25	PHE2425A4297	PHE2425WSOB09205
9	117/2024-25	PHE2425A4297	PHE2425WSOB09206
10	118/2024-25	PHE2425A4297	PHE2425WSOB09207
11	119/2024-25	PHE2425A4297	PHE2425WSOB09209

अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
खण्ड मालपुरा

DIPR/C/1627/2025

लापता छात्रा का कुण्ड में तैरता मिला शव

परिजनों ने हत्या करने अथवा आत्महत्या के लिये उकसाने का अंदेशा जताया

मालपुरा, (निसं)। मालपुरा उपखण्ड क्षेत्र के लाम्बाहरिसिंह कस्बे के हरि सागर कुण्ड में बुधवार को एक किशोरी का लावारिस शव संदिग्ध परिस्थितियों में तैरता मिला। ग्रामीणों के सहयोग से शव को पुलिस ने बाहर निकाल पुलिस सुरक्षा में लिया। शव की पहचान लाम्बाहरिसिंह कस्बा निवासी प्रिया पुत्री सुरेश जांगिड़ के रूप मे की गई, जो कि रविवार की शाम से ही घर से निकली थी। परिजनों ने प्रिया की हत्या या फिर आत्महत्या करने के लिये उकसाने का अंदेशा जता नामजद रिपोर्ट देकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर शव लेने से इंकार कर दिया।

मृतक प्रिया के पिता सुरेश कुमार जांगिड की और से थाना पुलिस को दी जानकारी मे बताया कि उसकी बेटी प्रिया जो कि राजकीय बालिका विद्यालय में कक्षा 10 में पढ़ती थी। डेठाणी गांव निवासी एक युवक उसकी पत्नी के मोबाइल पर बने प्रिया के इंस्टाग्राम पर चैटिंग कर आये दिन परेशान करता था। स्कूल जाने व आने के दौरान भी उसे परेशान करता था, जिससे वो तनाव में थी। रविवार को वो अपनी पत्नी के साथ पारिवारिक काम से बाहर गया हुआ था। शाम को लोटा तो उसके परिवारजनों ने बताया कि प्रिया शाम से ही घर पर नहीं है। जगह-जगह तलाश की गई, लेकिन प्रिया का कोई सुराग नहीं मिला। प्रिया के पास मोबाइल भी नहीं था। बुधवार की दोपहर बाद जरिये दूरभाष के ग्रामीणों द्वारा सूचना मिली कि हरिसागर कुण्ड में एक किशोरी का शव मिला है। सूचना पर वो मौके पर पहुंच शव को देखा तो वो शव उसकी बेटी प्रिया का ही था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुये शव को पुलिस सुरक्षा मे ले मालपुरा जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जहां परिजनों की मांग पर पुलिस वृत्ताधिकारी आशीष प्रजापत व थानाधिकारी राजकुमार की मौजूदगी मे मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। बुधवार की शाम साढे सात बजे तक शव अस्पताल के मुर्दाघर में पुलिस सुरक्षा में रखा हुआ था। छात्रा प्रिया के पिता ने डेठाणी निवासी युवक के विरूद्ध नामजद रिपोर्ट दे उसकी बेटी प्रिया की हत्या कर शव पानी मे फैंक देने अथवा प्रिया को आत्महत्या के लिये उकसाने का अंदेशा जताते हुये शव लेने से इंकार कर दिया। छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की सूचना पर जांगिड़ समाज के प्रबुद्धजन सहित बडी संख्या में लोगों ने अस्पताल पहुंच पुलिस वृत्ताधिकारी से मिलकर मामले में निष्पक्ष व त्वरित कार्यवाही व जांच कर दोषी की गिरफ्तारी की मांग की।

डीएसपी ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम के विसरा एफएसएल टीम को भेजने तथा मामले मे अनुसंधान अधिकारी से निष्पक्ष जांच करवाने का विश्वास दिलाते हुये शव उठाने की समझाइश की, लेकिन परिजन व समाज बंधुओं ने शव लेने से इंकार कर दिया।

नशे में उपयोग होने वाली टैबलेट्स बरामद

पाली, (नि.सं.)। जिला कलेक्टर एलएन मंत्री व पुलिस अधीक्षक पाली के नशे के विरूद्ध अभियान के अन्तर्गत एवं आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान के निर्देशन में बुधवार को नशे के उपयोग में ली जाने वाली टैबलेट्स बरामद की।कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण पाली के सहायक औषधि नियंत्रक भरत गोस्वामी ने बताया केवलचन्द्र पुत्र कुम्भाराम निवासी कुम्हारों का वास, ग्राम केलवाद सोजत जिला पाली के रहवासीय मकान से नशे मे उपयोग होने वाली गैर एनडीपीएस घटक की पांच हजार टैबलेट्स बरामद की गयी।

रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार

झालावाड़, (निसं)। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. की झालावाड़ चौकी द्वारा रामनिवास बैरवा पटवारी पटवार हल्का पिण्डोला तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ को परिवादी से चार हजार रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक डॉ. रवि प्रकाश मेहरडा ने बताया कि ए.सी.बी. की झालावाड़ चौकी को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि, प्रार्थी पिछले 10 साल से चारागाह भूमि पर खेती करता आ रहा है, जो करीब 2.5 बीघा है, जिसका सरकार की तरफ से जुर्माना आता था, जिसको प्रार्थी समय पर जमा करवा देता था।

पिछले दो साल से जमीन का जुर्माना आना बन्द हो गया, तो परिवादी पिण्डोला हल्का के पटवारी रामनिवास से मिला तो उसने जुर्माना चालू करने की एवज में पांच हजार रूपये रिश्वत मांग कर एक हजार रूपये पूर्व में प्राप्त किये तथा चार हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग की जा रही है।

इस पर 11 फरवरी को रिश्वत मांग का सत्यापन करवाये जाने पर परिवादी से आरोपी द्वारा रिश्वत की मांग करना प्रमाणित पाया गया। जिस पर 12 फरवरी को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन कर ए.सी.बी. कोटा रेंज कोटा के उप महानिरीक्षक पुलिस शिवराज मीना के सुपरवीजन में ए.सी.बी. झालावाड़ चौकी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगराम मीना द्वारा मय टीम के कार्यवाही करते हुए आरोपी रामनिवास बैरवा पटवारी पटवार हल्का पिण्डोला तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ को परिवादी से 4,000 रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

मदिरा दुकानों के बंदोबस्त में अभूतपूर्व सफलता

प्रदेश में वर्षों बाद फरवरी माह के द्वितीय सप्ताह में ही मदिरा दुकानों के नवीनीकरण का 85 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है

उदयपुर, (निसं)। राजस्थान आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2025-29 के तहत आबकारी आयुक्त शिवप्रसाद नकाते के निर्देशन में अनुज्ञाधारियों के विश्वास व उत्साह को कायम रखते हुए मदिरा दुकानों का बंदोबस्त पारदर्शिता, सुगमता व सरलीकरण के साथ करते हुए अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की गई है। प्रदेश में वर्षों बाद फरवरी माह के द्वितीय सप्ताह में ही मदिरा दुकानों के नवीनीकरण का 85 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।

आबकारी आयुक्त के अनुसार राजस्थान आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2025-29 के तहत पुरानी मदिरा की दुकानों के नवीनीकरण की प्रक्रिया के तहत प्रदेश में 7665 मदिरा दुकानों में से 6500 दुकानों के नवीनीकरण के साथ 85 प्रतिशत लक्ष्य बुधवार सांय सात बजे तक प्राप्त कर लिया गया है। यह आंकड़ा रात्रि 12 बजे तक 90 प्रतिशत तक रहने की संभावना है। इसी क्रम में फरवरी माह के दूसरे सप्ताह में ही दुकानों के बंदोबस्त में अभूतपूर्व सफलता मिली है जो कि बीते कई वर्षों से अधिक है। मदिरा दुकानों के सफलतापूर्वक हुए बंदोबस्त से राजस्व लक्ष्यों की वांछित पूर्ति हो सकेगी साथ ही अनुज्ञाधारियों, निर्माता व आपूर्तिकर्ताओं को भी लाभ होगा।

अतिरिक्त आबकारी आयुक्त प्रदीप सिंह सांगावत ने बताया कि आबकारी आयुक्त निर्देशानुसार राजस्थान आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2025-29 के तहत नवीनीकरण से शेष रही मदिरा दुकानों का बंदोबस्त अथवा सेटलमेन्ट भी फरवरी माह में नियमानुसार कर लिया जाएगा। उन्होंने अनुज्ञाधारियों को नियत समय में मदिरा दुकानों के नवीनीकरण के लिए बधाई देते हुए आबकारी नीति के अनुरूप दुकानों के संचालन की बात कही। आबकारी आयुक्त ने प्रदेश के समस्त जोन के अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे आबकारी नीति की पालना के साथ समस्त अनुज्ञाधारियों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य करें। प्रदेश में आबकारी नीति के तहत प्रदेश में पुरानी मदिरा दुकानों के नवीनीकरण के तहत क्रमशः जालौर, बांसवाड़ा, टोंक, राजसमन्द, बहरोड़, धौलपुर, पाली जिले अव्वल रहे।

- प्रदेश में आबकारी नीति के तहत प्रदेश में पुरानी मदिरा दुकानों के नवीनीकरण के तहत क्रमशः जालौर, बांसवाड़ा, टोंक, राजसमन्द, बहरोड़, धौलपुर, पाली जिले अव्वल रहे

भीलवाड़ा में "विधायक आपके वार्ड" अभियान की शुरुआत

विधायक द्वारा वार्ड नम्बर 59 में बैठक कर "विधायक आपके वार्ड" का शुभारंभ किया गया।

भीलवाड़ा, (निसं)। शहर विधायक अशोक कोठारी निरंतर जनता से कार्यालय पर जनसुनवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कभी जनसंवाद तो कभी नए-नए नवाचार करके जनता की समस्या का समाधान कर रहे हैं। विधायक द्वारा एक नवाचार का शुभारंभ वार्ड नम्बर 59 में बैठक कर "विधायक आपके वार्ड" का किया गया।

मीडिया प्रभारी पंकज आडवाणी ने बताया कि, विधानसभा क्षेत्र की जन समस्या का समाधान करने के लिए एक नया नवाचार किया है। इस अभियान का नाम "विधायक आपके वार्ड" है। निरंतर हर वार्ड के लोगों के साथ बैठक कर समस्या सुनेंगे और अतिशीघ्र समस्या का समाधान करवाएंगे। विधायक आपके वार्ड अभियान के तहत प्रदेश व केंद्र सरकार की जनहित योजना की उपलब्धियां गिनाते हुए जनता की समस्याएं सुनी। कोठारी ने युवाओं से नवाचार को बढ़ावा देने तथा नए शोध करने का आग्रह किया। वार्ड संख्या 59 में बैठक कर आमजन की समस्या सुनी, विधायक कोठारी ने जनता के हर विषयों को पूरा सुना, समझा व विधायक स्तर के सभी कार्य यूआईटी व विधायक कोष के माध्यम से करवाने का भरोसा दिलाया। साथ ही नगर निगम कार्य हेतु, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि दौलत माली को जिम्मेदारी दी, निगम के कार्य निगम द्वारा करवाकर जनता को शीघ्र राहत प्रदान करें। इस दौरान विधायक के साथ आनंद चपलोत, शम्भू वैष्णव, बाबूलाल टाक, गजेंद्र सिंह राठौड़, कमल कोठारी के साथ ही वार्ड के कैलाश गग्गड, देवीलाल माली, कन्हैयालाल तेली, राकेश कसारा, सुरेश शर्मा, पार्षद प्रतिनिधि दौलत माली, बुद्धिप्रकाश आदि मौजूद थे।

जंगल में लगी भीषण आग, 500 हैक्टेयर एरिया में फैली

विराटनगर के छितोली, लुहाकना, बाणयावास तन जंगल में आग लगी

पावटा, (निसं)। विराटनगर के छितोली, लुहाकना, बाणयावास, गोगेरा एवं भैरू जी का मंदिर के आस-पास जंगल और पहाड़ी पर आग लगने से हड़कंप मच गया। बुधवार सुबह अचानक आग लगने से आसमान में चारों तरफ धुंआ ही धुंआ हो गया। लोगों ने आग लगने की सूचना वन विभाग और दमकल को दी। सूचना मिलते ही शाहपुरा, विराटनगर, पावटा से दमकल की गाड़ियां और वन विभाग के कर्मचारी-अधिकारी मौके पर पहुंचे और दमकल कर्मियों व पानी के टैंकरों से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। वहीं, पहाड़ी पर दमकल नहीं पहुंचने की वजह से वन विभाग के कर्मचारियों ने पारंपरिक तरीके से आग बुझाने का प्रयास किया।

भारतीय किसान संघ जिला सहमंत्री भगवत, कांग्रेस नेता दौलत सिंह, प्रहलाद भगत, गोकुल मीना, नरपत सिंह ने बताया कि पावटा के फायर इंचार्ज प्रकाश सिंह शेखावत, विकास, सतवीर ने अपने टीम के साथ बहुत विकट रास्ते में गाड़ी ले जाकर आग बुझाने का सराहनीय प्रयास किया। इस दौरान हवा के साथ आग लगातार जंगल में आगे पहाड़ी की ओर बढ़ती गई।

आग से 500 हैक्टेयर तक पहाड़ी और जंगल में पेड़-पौधे और वनस्पति जलकर राख हो गए। वहीं, कई जंगली जानवर भी आग की चपेट में आ गए। विभाग की टीम के साथ ग्रामीणों के सहयोग से 3 से 4 घंटे में आग पर काबू पाया। वन इलाके क्षेत्र में आग से बड़ी संख्या में पेड़-पौधे जलकर राख हो गए। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वन विभाग के अधिकारियों ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि जंगल और आसपास में जलती हुई बीड़ी-सिगरेट नहीं फेंके. इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा।

- कई जंगली जानवर भी आग की चपेट में आ गए, विभाग की टीम ने ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया
- पहाड़ी पर दलकम नहीं पहुंचने से पारम्परिक तरीके से आग बुझाने का प्रयास किया

कार्यालय नगरपरिषद् चूरू (राजस्थान)

क्रमांक : न.प./सफाई शाखा/2024–25/13444787 दिनांक :– 06.02.2025

ई–निविदा सूचना 109 वर्ष 2024–25

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से नगरपरिषद, द्वारा कार्य की निविदा आईडी नम्बर **DLB2425A5482** आमंत्रित की जाती है। विस्तृत विवरण वेबसाइट **http://eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp.raj.nic.in** पर तथा कार्यालय समय में किसी भी कार्य दिवस को नगरपरिषद चूरू के कार्यालय में एवं सूचना बोर्ड पर देखी जा सकता है।

UBN Code :- DLB2425SLOB16628, DLB2425SLOB16629

राज.संवाद/सी/24/11554 आयुक्त, नगरपरिषद्, चूरू